भारत सरकार
कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 2710
उत्तर देने की तारीख 09 मार्च, 2026
सोमवार, 18 फाल्गुन, 1947 (शक)

तकनीकी शिक्षा में सुधार

2710. श्री संजय दिना पाटीलः **प्रो. वर्षा एकनाथ गायकवाड़ः**

क्या कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने हाल ही में देश भर में लागू किए जा रहे शिक्षा, कौशल और प्रौद्योगिकी आधारित अधिगम सुधारों में ढांचागत परिवर्तनों को उजागर करने वाली रिपोर्टों का संज्ञान लिया है;

(ख) सरकार द्वारा महाराष्ट्र में उच्च शिक्षा संस्थानों और कौशल केन्द्रों को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई), उन्नत विनिर्माण और डिजिटल सेवाओं जैसे उभरते क्षेत्रों के साथ संरेखित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं;

(ग) क्या राज्य में, विशेष रूप से गैर-महानगर जिलों में युवाओं के लिए कौशल प्रशिक्षण परिणामों और वास्तविक रोजगार के अवसरों के बीच अंतर के संबंध में कोई आकलन किया गया है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) विगत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान महाराष्ट्र में शिक्षा आधुनिकीकरण, डिजिटल अवसंरचना और कौशल पारिस्थितिकी तंत्र में सुधार के लिए कुल कितनी धनराशि आवंटित और उपयोग की गई है; और

(ङ) सरकार द्वारा यह सुनिश्चित करने के लिए क्या उपाय किए गए हैं/किए जा रहे हैं कि प्रौद्योगिकी आधारित शिक्षा सुधारों से पूरे महाराष्ट्र में छात्रों और युवाओं के लिए समान पहुंच, उद्योग से जुड़े प्रशिक्षण और स्थायी रोजगार के अवसर प्राप्त हों?

उत्तर

कौशल विकास और उद्यमशीलता राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)
(श्री जयन्त चौधरी)

(क) और (ख): भारत सरकार के स्किल इंडिया मिशन (सिम) के अंतर्गत, कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय (एमएसडीई) विभिन्न योजनाओं, जैसे प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (पीएमकेवीवाई), जन शिक्षण संस्थान (जेएसएस), राष्ट्रीय शिक्षुता संवर्धन योजना (एनएपीएस) जैसी प्रमुख योजनाओं के तहत कौशल विकास केंद्रों के व्यापक नेटवर्क के माध्यम से और औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (आईटीआई) द्वारा शिल्पकार प्रशिक्षण योजना (सीटीएस) के जरिए महाराष्ट्र राज्य सहित को देश भर में समाज के सभी वर्गों को कौशल, पुनर्कौशल और

उन्नत कौशल प्रशिक्षण प्रदान करता है। सिम का उद्देश्य भारत के युवाओं को उद्योग-प्रासंगिक कौशलों से सुसज्जित करके भविष्य के लिए तैयार करना है।

पीएमकेवीवाई 4.0 को स्किल हब इनिशिएटिव (एसएचआई) के माध्यम से कार्यान्वित किया जा रहा है, जिसमें एआईसीटीई से संबद्ध कॉलेज, राज्य सरकार के विश्वविद्यालय, निजी विश्वविद्यालय, राष्ट्रीय महत्व के संस्थान और यूजीसी द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान जैसे उच्च शिक्षण संस्थानों (एचईआई) को औपचारिक शैक्षणिक इको सिस्टम में व्यावसायिक शिक्षा को एकीकृत करने के लिए स्किल हब के रूप में पैनलबद्ध किया गया है।

उद्योग की मांग को पूरा करने, डिजिटल परिवर्तन को गति देने और उद्योग 4.0 तथा ग्रीन ट्रांजिशन के लिए कार्यबल को तैयार करने के उद्देश्य से, पीएमकेवीवाई 4.0 के तहत कृत्रिम बुद्धिमत्ता, रोबोटिक्स और नए युग की तकनीकों पर केंद्रित विशेषीकृत अल्पकालिक और उन्नत मॉड्यूल शुरू किए गए हैं।

सीटीएस के अंतर्गत, देश के युवाओं के कौशलीकरण और कौशलोन्नयन के लिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता, औद्योगिक रोबोटिक्स, जलवायु अनुकूल प्रौद्योगिकी, एआई, ड्रोन आदि जैसे नए युग के 31 पाठ्यक्रमों में औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (आईटीआई) और राष्ट्रीय कौशल प्रशिक्षण संस्थानों (एनएसटीआई) के नेटवर्क के माध्यम से प्रशिक्षण आयोजित किया जाता है।

(ग) क्षेत्रीय कौशल परिषदों (एसएससी) ने विभिन्न क्षेत्रों में कौशल अंतर का अध्ययन किया है, जिससे मांग-आपूर्ति आकलन और मानव संसाधन अनुमान प्राप्त हुए हैं। सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में स्थापित जिला कौशल समितियों (डीएससी) को स्थानीय रोजगार के अवसरों, कौशलीकरण मांग और उपलब्ध प्रशिक्षण अवसंरचना की पहचान करके विकेन्द्रीकृत, जमीनी स्तर की कौशल योजना का समर्थन करने के लिए जिला कौशल विकास योजनाएँ (डीएसडीपी) तैयार करने का दायित्व सौंपा गया है। फिर विभिन्न क्षेत्रों में इन चिन्हित कौशल कमियों को दूर करने के लिए सरकार द्वारा कौशल विकास कार्यक्रम तैयार किए जाते हैं। इसके अतिरिक्त, राष्ट्रीय अनुप्रयुक्त आर्थिक अनुसंधान परिषद (एनसीएईआर) द्वारा समर्थित संकल्प (आजीविका संवर्धन के लिए कौशल अर्जन और ज्ञान जागरूकता) राष्ट्रीय कौशल अंतर अध्ययन सात उच्च-विकास वाले क्षेत्रों में कौशल कमियों का आकलन करने के लिए एक मानकीकृत, डेटा-आधारित ढांचा प्रदान करता है। यह एमएसडीई को कौशलीकरण पहलों को उद्योग की मांग और भविष्य की कार्यबल आवश्यकताओं के अनुरूप बनाने में मदद करता है।

(घ) वर्तमान वर्ष सहित पिछले तीन वर्षों के दौरान दिनांक 31.12.2025 तक एमएसडीई की विभिन्न योजनाओं के तहत महाराष्ट्र राज्य को वितरित की गई निधि की कुल राशि इस प्रकार है:

योजनाएँ	कुल वितरित निधि (करोड़ रुपये में)
पीएमकेवीवाई 4.0	81.14
जेएसएस	41.10

आईटीआई से संबंधित दैनिक प्रशासन के साथ ही वित्तीय नियंत्रण संबंधित राज्य सरकारों/ संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन के पास होता है।

एनएपीएस-2 के तहत, भारत सरकार द्वारा दी जाने वाली वजीफा सहायता का भुगतान प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी)/सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली (पीएफएमएस) के माध्यम से शिक्षुओं के बैंक खाते में जमा किया जाता है। इस योजना के अंतर्गत राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के लिए कोई विशिष्ट बजट प्रावधान नहीं है।

(ङ) एमएसडीई की विभिन्न योजनाओं के माध्यम से प्रदान किए जाने वाले कौशलों को उद्योग की आवश्यकताओं, तकनीकी प्रगति और स्थायी रोजगार के अवसरों के सृजन के अनुरूप सुनिश्चित करने के लिए, निम्नलिखित विशिष्ट कदम उठाए गए हैं:

(i) तकनीकी और व्यावसायिक शिक्षा एवं प्रशिक्षण (टीवीईटी) क्षेत्र में गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए विनियम और मानक स्थापित करने हेतु राष्ट्रीय व्यावसायिक शिक्षा एवं प्रशिक्षण परिषद (एनसीवीईटी) की स्थापना एक व्यापक नियामक निकाय के रूप में की गई है।

(ii) एनसीवीईटी द्वारा मान्यता प्राप्त अवार्डिंग बॉडीज से अपेक्षा की जाती है कि वे उद्योग की मांग के अनुसार योग्यताएं विकसित करें और उन्हें राष्ट्रीय व्यवसाय वर्गीकरण, 2015 के अनुसार चिन्हित व्यवसायों से जोड़ें तथा उद्योग से मान्यता प्राप्त करें।

(iii) संबंधित क्षेत्रों के अग्रणी उद्योग के संचालन में 36 क्षेत्रीय कौशल परिषदें (एसएससी) स्थापित की गई हैं, जो संबंधित क्षेत्रों की कौशल विकास आवश्यकताओं की पहचान करने के साथ-साथ कौशल दक्षता मानकों का निर्धारण करती हैं।

(iv) एमएसडीई के तत्वावधान में प्रशिक्षण महानिदेशालय (डीजीटी) फ्लेक्सी समझौता ज्ञापन योजना और दोहरी प्रशिक्षण प्रणाली (डीएसटी) को लागू कर रहा है, जिनका उद्देश्य आईटीआई छात्रों को उनकी आवश्यकताओं के अनुसार औद्योगिक वातावरण में प्रशिक्षण प्रदान करना है।

(v) पीएमकेवीवाई के तहत, नए युग/भविष्य के कौशल से संबंधित नौकरियों को विशेष रूप से उद्योग 4.0 की आवश्यकताओं के अनुरूप तैयार किया गया है। इनमें एआई/एमएल, रोबोटिक्स, मेकाट्रॉनिक्स, ड्रोन प्रौद्योगिकी आदि जैसे क्षेत्र शामिल हैं, जो आगामी बाजार मांग और उद्योग की आवश्यकताओं को पूरा करते हैं।

(vi) डीजीटी ने सीटीएस के अंतर्गत औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (आईटीआई) और राष्ट्रीय कौशल प्रशिक्षण संस्थानों (एनएसटीआई) में नए युग/भविष्य के कौशल से संबंधित पाठ्यक्रम शुरू किए हैं। इनका उद्देश्य 5जी नेटवर्क तकनीशियन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रोग्रामिंग सहायक, साइबर सुरक्षा सहायक, ड्रोन तकनीशियन आदि जैसे उभरते क्षेत्रों में प्रशिक्षण प्रदान करना है।

(vii) डीजीटी ने आईबीएम, सिस्को, माइक्रोसॉफ्ट, अमेज़न वेब सर्विसेज (एडब्ल्यूएस), ऑटो डेस्क और फ्यूचर स्किल राइट्स नेटवर्क जैसी आईटी प्रौद्योगिकी कंपनियों के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं, ताकि राज्य और क्षेत्रीय स्तरों पर संस्थानों के लिए उद्योग से जुड़ाव सुनिश्चित किया जा सके। ये साझेदारियां आधुनिक प्रौद्योगिकियों में तकनीकी और व्यावसायिक कौशल प्रशिक्षण प्रदान करने की व्यवस्था को सुगम बनाती है।

(viii) एमएसडीई ने स्किल इंडिया डिजिटल हब (सिद्ध) को लॉन्च किया है, जो एक एकीकृत प्लेटफार्म है और कौशलीकरण, शिक्षा, रोजगार और उद्यमिता इको सिस्टम को एकीकृत करके प्रमुख हितधारकों को जीवनभर चलने वाली सेवाओं की एक श्रृंखला प्रदान करता है। प्रशिक्षित उम्मीदवारों का विवरण सिद्ध पोर्टल पर उपलब्ध है, जिससे वे संभावित नियोक्ताओं से जुड़ सकते हैं। उम्मीदवार सिद्ध के माध्यम से, रोजगार और शिक्षुता के अवसरों तक पहुंच प्राप्त कर सकते हैं।

*****